क़ुर्बानी की क़ीमत का सद्क़ा करना

[हिन्दी – Hindi – هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ الصدقة بثمن الأضحية ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 – 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ़्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

क़ुर्बानी की क़ीमत का सद्क़ा करना

प्रश्नः

कुर्बानी के बारे में बातचीत हुई, कुछ लोगों का विचार यह था कि मृतक पर कुर्बानी की वसीयत वैध नहीं है, क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मृत्यु के बाद वसीयत नहीं की थी, इसी तरह खुलफाये राशेदीन ने भी इसकी वसीयत नहीं की। इसी तरह कुछ भाईयों की राय यह थी कि कुर्बानी की क़ीमत का सद्क़ा करना उसकी कुर्बानी करने से बेहतर है। आप से अनुरोध है कि इस मामले में आप अपने विचार से हमें अवगत करायें।

उत्तरः

अधिकांश विद्वानों के कथन के अनुसार कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदह है; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं कुर्बानी की है और अपनी उम्मत को कुर्बानी करने पर उभारा और उस पर बल दिया है, और मूल सिद्धांत यह है कि वह अपने समय पर जीवित व्यक्ति की तरफ से उसके स्वयं अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से किया जाना चाहिए।

रही बात मृतक की ओर से कुर्बानी की तो यदि उसने उदाहरण के तौर पर अपने धन के तिहाई भाग में उसकी वसीयत की है या उसे अपने वक़्फ़ में कर दिया है तो वक़्फ़ और वसीयत के निरीक्षक पर उसको लागू करना अनिवार्य है। और यदि उसने उसकी वसीयत नहीं की है और न ही उसे वक़्फ में नियत किया है, और इंसान अपने बाप या अपनी माँ या उनके अलावा की ओर से कुर्बानी करना चाहता है तो यह

अच्छा है, और इसे मैयित की ओर एक प्रकार का सद्क़ा समझा जायेगा, और मैयित की ओर से सदक़ा करना अहले सुन्नत वल जमाअत के मतानुसार धर्म संगत है।

जहाँ तक क़ुर्बानी की क़ीमत को सद्क़ा करने का संबंध है इस आधार पर कि वह उसकी क़ुर्बानी करने से सर्वश्रेष्ठ है, तो यदि वक़्फ़ या वसीयत में उसको निर्धारित कर दिया गया है तो अभिभाषक के लिए उसे छोड़ कर उसकी क़ीमत को दान करना अनुज्ञेय नहीं है। लेकिन यदि वह किसी दूसरे की ओर से स्वैच्छिक तौर पर है तो इस बारे में मामले के अंदर विस्तार है। जहाँ तक मुसलमान के अपनी ओर से और अपने घर वालों (जीवित) की ओर से क़ुर्बानी करने का संबंध है तो वह उस पर सामर्थ्य रखने वाले के लिए सुन्नत मुअक्कदह है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करते हुए उसकी क़ुर्बानी करना उसकी क़ीमत को दान करने से बेहतर है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपकी संतान और साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।''

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (समिति के अध्यक्ष), शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी (उपाध्यक्ष), शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान (सदस्य), शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद (सदस्य)।

''फतावा स्थायी समिति'' (11/418 – 419)